

8/7/24  
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप  
की ओ. साहब दीरे/अवकाश पर पधार है। अतः  
पत्रावली पूर्व आवेदन सार दि. 29/7/24

29/7/24  
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप  
की ओ. साहब दीरे/अवकाश पर पधार है। अतः  
पत्रावली पूर्व आवेदन सार दि. 14/8/24

14/8/24  
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप  
की ओ. साहब दीरे/अवकाश पर पधार है। अतः  
पत्रावली पूर्व आवेदन सार दि. 10/9/24

10/9/24  
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप  
की ओ. साहब दीरे/अवकाश पर पधार है। अतः  
पत्रावली पूर्व आवेदन सार दि. 5/10/24

15/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उप। ज. पत्रावली  
घाटा 212 पर बहल सुनी। पत्रावली के क्लोरस  
व काफेय हेतु पत्रावली दि. 5/11/24 के पेश की।

5/11/24

C.N - 85118

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)

पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उप। ज. पत्रावली  
212 पर काफेय सुनने से तैयार कर पत्रावली की शर्त  
मि मिया गया। पत्रावली के तल सुना (होना) उम्बर  
से कर ले।

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2018

1. मु० शान्ति देवी पत्नि स्व० श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
2. बृजमोहन पुत्र स्व० श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
3. सीताराम पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
4. जटाशंकर पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज०

प्रार्थीगण

## बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
2. हेमराज पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
3. सुरेश पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
4. श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
5. श्रीमती राजकुमारी उर्फ राजू पत्नि हेमराज जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
6. कैलाशचन्द पुत्र स्व० श्री रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज०
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक: 5/11/24

उपस्थित: श्री इन्द्रेश कुमार

प्रार्थीगण अभिभाषक

एकपक्षीय

अप्रार्थीगण

## निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरुद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि —



उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

2.1 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं० 1 तथा अप्रार्थी सं० 6 के संयुक्त अधिकार, मिलकीयत, खातेदारी की कृषि भूमि ख०नं० 182 रकबा 01-09-00, ख०नं० 185 रकबा 03-09-00, ख०नं० 464 रकबा 05-15-00, ख०नं० 560 रकबा 06-02-00 एवं ख०नं० 564 रकबा 04-13-00 कुल किता 5 कुल रकबा 21-08-00 भूमि ग्राम काढा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी सं० 1 व 2 का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/5, प्रार्थी सं० 3 हिस्सा 1/5, प्रार्थी सं० 4 हिस्सा 1/5 के एवं अप्रार्थी सं० 1 हिस्सा 1/5 के व अप्रार्थी सं० 6 हिस्सा 1/5 के राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार, काबिज, काशतकार है। अप्रार्थी सं० 6 द्वारा स्वयं का 1/5 हिस्सा प्रार्थी सं० 4 को दिनांक 18.12.2017 के पंजीयन उपहार प्रलेख द्वारा उपहार में परिदत्त कर दिया, किन्तु राजस्व रिकार्ड में इसका अमल दरामद नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी सं० 4 स्वयं के 1/5 हिस्से सहित अप्रार्थी सं० 6 के उपहार प्रलेख द्वारा परिदत्त 1/5 हिस्से से कुल 2/5 हिस्से का उपरोक्त भूमि पर सह स्वामी काबिज है। भविष्य में किसी प्रकार का पक्षकारों के संयोजन को लेकर असमंजस्य जैसी स्थिति नहीं रहे इस कारण उपरोक्त अप्रार्थी सं० 6 को भी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं० 1 एवं परिवारजन अप्रार्थी सं० 2 लगायत 5 उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के सह हिस्से के कारण, प्रार्थीगण के काशत कार्यों में विवाद करते हैं एवं उपरोक्त भूमि संयुक्त होने के कारण प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर सुधार विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि, उपरोक्त भूमि का जमाबन्दी में दर्शित हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी नींव-सींव से विभाजन करवाकर स्वयं का पृथक-पृथक खाता, खसरा कायम करवाये। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य उपहार प्रलेख से प्रदत्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कतिपय कारणों से उपरोक्त पटवार हल्के में नियमित पटवारी की नियुक्ति नहीं होने से उपहार प्रलेख के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं० 1 को दिनांक 03.04.2018 को आग्रह किया कि, उपरोक्त भूमि का सहमती से विभाजन करवा लेवे किन्तु अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 विभाजन करवाने में उदासीन होकर अनर्गल वार्तालाप करने लगे। जिसके कारण प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि, वह अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 के विरुद्ध न्यायालय में विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत वाद संस्थित करे। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 को वाद



उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण/उनके कर्मकार/असाईनिस के काश्त कार्यों में प्रार्थीगण के निहित हिस्से में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 6 द्वारा बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 24.02.2024 को उनके विरुद्ध को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं० 7 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं० 1 को दिनांक 03.04.2018 को आग्रह किया कि, उपरेक्त भूमि का सहमती से विभाजन करवा लेवे किन्तु अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 विभाजन करवाने में उदासीन होकर अनर्गल वार्तालाप करने लगे। जिसके कारण प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि, वह अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 के विरुद्ध न्यायालय में विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत वाद संस्थित करे। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण/उनके कर्मकार/असाईनिस के काश्त कार्यों में प्रार्थीगण के निहित हिस्से में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं करे तथा प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी ग्राम काढा तहसील किशनगढ खाता संख्या 123 तथा उपहार प्रलेख दिनांक 18.12.2017 क्रमांक 201702006009511 के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण के उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अतः रिकार्डेड खातेदार से जरिये रजि. उपहार प्रलेख उपहार होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी सिद्ध करने में असाफल रहे है। रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख से प्रार्थी संख्या 4 ने उक्त भूमि प्राप्त की है तथा अन्य प्रार्थी सहखातेदार है, जिससे अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगणों को होना कारित है। अतः उपयुक्त विवेचन के



उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)

आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम काढ़ा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 182 रकबा 01-09-00, ख0नं0 185 रकबा 03-09-00, ख0नं0 464 रकबा 05-15-00, ख0नं0 560 रकबा 06-02-00 एवं ख0नं0 564 रकबा 04-13-00 कुल किता 5 कुल रकबा 21-08-00 भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व कृषि कार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(निशा सहारण)

आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)